



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला हाथरस
तहसील हाथरस
आवेदन क्र० 231440030011772
प्रमाणपत्र क्र० 133233001966

जारी दिनांक: 10/04/2023

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

नितेश कुमार/NITESH KUMAR
सूरज पास सिंह
राजकुमारी देवी
,पट्ट पोस्ट कोटा
पट्ट
हाथरस
हाथरस



उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि **नितेश कुमार/NITESH KUMAR** पूर्वांक अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो ३०५० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से सम्बन्धित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास छन कर अधिनियम १९५७ से यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: रीना जैसवाल, सीएआरएस अग्रे सेक्टर केन्द्र
पद: रीना जैसवाल, केन्द्र प्रभारी
स्थान : महायौनी, हाथरस, मुसाबली, मुरसान, हाथरस
दिनांक: 10/04/2023
हस्ताक्षर एवं मुहर

Sushil Kumar
Digitally Signed by
Sushil Kumar Omsal,
Omsal, G-158
Pradesh

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
हाथरस, हाथरस
दिनांक: 10/04/2023

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिविजन द्वारा वैधता प्रमाणित किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.gov.in> पर इसका सही आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।